

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक—

संचिका संख्या :-17/ए 1-05/2009 ...../स्वा0, डा0 उपेन्द्र पासवान, (उत्क्रमित प्राध्यापक) विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को विभागीय आदेश ज्ञापांक-706(9) दिनांक-03.07.2017 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक का दण्डादेश निर्गत है।

उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-2(v) में निहित प्रावधान के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-658(17) दिनांक-17.09.2018 द्वारा डा0 पासवान को नियमित प्राध्यापक, मनोरोग विभाग के पद पर दी गयी प्रोन्नति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डा0 कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

सं० सं०-17/ए 1-05/2009 - 710 (17) पटना, दिनांक :- 11/10/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लहेरियासराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 उपेन्द्र पासवान, (उत्क्रमित प्राध्यापक) विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Kambal  
11/10/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

KK